

FORM-I
 (for linear projects)
 (Government of Uttarakhand)
 Office of the District Collector

No---

Dated-----

TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN


compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No 11-8-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for being initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 2.920 hectares of forest proposed to be diverted in favour of Division PMGSY- ID Srinagar struction of Chaplodi-Kulayni Motor Road in Pauri district falls within jurisdiction Mancholi & Faldas village (s) in Pauri Tehsil

further certified that:


complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) and Division level Committee(s) and the District Committee are enclosed as annexure 01 to annexure 02.

Diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the Act have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it; The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

As above.

Attested

Assistant Engineer
PMGSY, ID, Srinagar
Distt. Pauri Garhwal

Signature


10.3.15
(Chandra Shekhar Bhatt)
(District Collector Garhwal)

FORM-II
for linear projects
(Government of Uttarakhand)
Office of the District Collector

Dated-----

TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98- (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA) for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that _____ hectares of forest land proposed to be diverted in your of Division PMGSY- ID Srinagar Construction of Chaplode - Kulejuni Motor Road in Pauri district falls within jurisdiction of Man Keli & Faldas village (s) in Pauri Tehsils.

It is further certified that:

- a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.990 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub-Division level Committee(s) and the District level Committee are enclosed as annexure 01 to annexure 02.
- b) The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA:
- c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of _____ village(s) is enclosed as annexure 01 to annexure 02.
- d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(c) of the FRA

Encl: As above.

Attested
[Signature]
**Assistant Engineer
PMGSY, ID, Srinagar
Distt. Pauri Garhwal**

Signature

[Signature]
10.3.15
**(Chandra Shekhar Bhatt)
(District Collector Garhwal)**

4144-30.1

Dated

Deputy Commissioner-Chairman
District Level Committee

It is further Certified that minuts of meeting of construction of
Chaploodi to kulyani Motor Road (14.275 K.M.) Regarding FRA is as following

Sl. No.		Remark
(a)	The Complete process of identification and settlement of right under FRA had been carried out for the entire 2.920 hectares area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the forest right commitee (s), sub-division Level Commitee(s) and enclosed as annexure,	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribe and other traditional forest Dwellers.
(b)	The diversions of the forest land for facilities managed by the Governemnt as required under section 32 (2) have been given consent to it.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribe and other traditional forest Dwellers.No Objection certificate concerned villages regarding constructiio of Motor Road id Attached
(c)	The propsal does not invlove recoznized reghts of primitive tribal groups and preagricultural Communities.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribe and other traditional forest Dwellers.

जिला सहायक सचिव

जिला समाज कल्याण अधिकारी
पौड़ी गढ़वाल

प्रभागिक अधिकारी
भूमि, संरक्षण व वन प्रभाग
पौड़ी

अधिशायी अभियन्ता
पी एम. जी. एस. वाई
सिचोई खण्ड, श्रीनगर
श्रीनगर गढ़वाल।

Assistant Engineer
PMGSY, ID. Srinagar
Distt. Pauri Garhwal

10.3.15
(चन्द्रशेखर भट्ट)
जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल

प्रपत्र 30.2

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

DISTRICT PAURI GARHWAL (U.K.)


Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Pauri Garhwal District, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr Chandra Sekhar Bhatt I.A.S Deputy Commissioner Pauri Garhwal, on dated _____ at Pauri in which application claiming rights in mail area measuring **2.920 hectares** for the construction of **Chaplodi to Kulyani Motor Road** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Pauri sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Pauri

Dated: 10.3.15


10.3.15

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल में पी0एम0जी0एस0वाई0 श्रीनगर गढ़वाल के अन्तर्गत विकासखण्ड पाबौ में चपलोडी से कुलयाणी मोटर मार्ग का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी-पौड़ी गढ़वाल।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति-पौड़ी गढ़वाल।

उपखण्ड उपवन प्रभाग पौड़ी के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में पी0एम0जी0एस0वाई0 श्रीनगर गढ़वाल के अन्तर्गत विकासखण्ड पाबौ में चपलोडी से कुलयाणी मोटर मार्ग का निर्माण (-हे0 आरक्षित वन भूमि, शून्य हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि हे0(2.920) वन पंचायत भूमि शून्य अर्थात कुल 2.920 हे0 वन भूमि) का पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड श्रीनगर गढ़वाल प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील-पौड़ी) की दिनांक 30-01-15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री _____ उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री पि. जल. शर्मा उपजिलाधिकारी सबर पौड़ी अध्यक्ष
- 2- श्री श्री. अशोक कुमार शर्मा उप प्रभागीय वनाधिकारी पौड़ी (माला) सदस्य
- 3- श्री श्री. राजेश कुमार शर्मा सहायक समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी सदस्य/सचिव
- 4- श्री श्री. राजेश देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र पौड़ी सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में पी0एम0जी0एस0वाई0 श्रीनगर गढ़वाल के अन्तर्गत विकासखण्ड पाबौ में चपलोडी - कुलयाणी मोटर मार्ग का निर्माण परियोजना हेतु 2.920 हे0 सिविल भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

श्री. अशोक कुमार शर्मा
उप प्रभागीय वनाधिकारी

Assistant Engineer
PMGSY, ID, Srinagar
Distt. Pauri Gathwal

उप जिलाधिकारी
पौड़ी उप वन

उप प्रभागीय वनाधिकारी, पौड़ी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन
कार्यों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए
जनकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार
का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी
की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा
सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पौड़ी परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में पी0एम0जी0एस0वाई0
श्रीनगर गढ़वाल के अन्तर्गत विकासखण्ड पाबौं में चपलोडी से कुलयाणी मोटर मार्ग का निर्माणपरियोजना
के निर्माण हेतु 2.920 हे0 सिविल भूमि पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड श्रीनगर गढ़वाल, प्रयोक्ता
एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की
गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्षयक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील-पौड़ी।

जनपद-पौड़ी गढ़वाल।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी..... गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्षयक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील-पौड़ी, जनपद पौड़ी गढ़वाल।

Attested
[Signature]
Assistant Engineer
PMGSY, ID, Srinagar
Distt. Pauri Garhwal

[Signature]
परमाना मजिस्ट्रेट
बारहस्यू, पौड़ी गढ़वाल

प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम : जनपद पौड़ी गढ़वाल में पी0एम0जी0एस0वाई0 श्रीनगर गढ़वाल के अन्तर्गत विकासखण्ड पाबों में चपलोडी-कुल्याणी मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम-----

तहसील-पौड़ी, जिला-पौड़ी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत परियोजना जनपद पौड़ी गढ़वाल में पी0एम0जी0एस0वाई0 श्रीनगर गढ़वाल के अन्तर्गत विकासखण्ड पाबों में चपलोडी-कुल्याणी मोटर मार्ग का निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि 0.00 हे0 सिविल सोयम भूमि, 2.920 हे0 वन पंचायत 0.00 भूमि) अथ कुल 2.920 हे0 विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित क हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत-फलदाडी द्वारा दिनां 30-01-2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भू के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनिय 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/व कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोज के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया ग्राम-फलदाडी, मणखोली, कुल्याणी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई ख श्रीनगर गढ़वाल प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ह0/- ग्राम पंचायत अधिकारी
ग्राम सचिव
मुहर सहित मुहर सहित

ह0/-
सिना देवी / सरपंच
पौड़ी (गढ़वाल)

दिनांक 30/11/20 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम सभा में उपस्थित ग्रामवासी	हस्ताक्षर
जगत सिंह	जगत सिंह
दलीप सिंह	दलीप सिंह
गंगा सिंह	गंगा सिंह
मनोहर सिंह	मनोहर सिंह
आशोक सिंह	आशोक सिंह
दलीप सिंह	दलीप सिंह
पवन सिंह	पवन सिंह
सूरज सिंह	सूरज सिंह
9- आनंद-6 लाल	आनंद-6 लाल
10- सुधीर सिंह	सुधीर सिंह
11- गिरिश चंद्र	गिरिश चंद्र
12-	
13-	
14-	
15-	
16-	

श्रीना देवी
30/11/20
ह0/मकहाल

ग्राम प्रधान / सरपंच

1/-
म सचिव

रूपी लाल

Attested
Assistant Engineer
PMGSY, ID, Srinagar
Distt. Pauri Gathwal

